न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 332/2014

अनवान : –

1. मोडुराम पुत्र पन्नाराम उर्फ पन्ना जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।

– **वादी**

बनाम्

1. गोरासिंह वल्द बिशनसिंह – फौत

1/1 जगजीतसिंह पुत्र गोरासिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।

1/2 नाथासिंह पुत्र गोरासिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।

2. सुखदेव कौर बेवा जरनेलसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।
3. गुरूसेवक पुत्र जरनेलसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।
4. अग्रेजसिंह पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।
5. मेजरसिंह
6. अजायबसिंह
7. दर्शनसिंह

(5–7) पि0 महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. मैनेजर एसबीबीजे शाखा रामगढ़ तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

10. कानी पुत्री पन्ना पत्नी हरलाल जाति रेगर निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के पास रेगर मोहल्ला फतेहाबाद
11. सन्तोष
12. पप्पू
13. प्रेमा

(11–13) पुत्र/पुत्रीयान माता मैना देवी पत्नी भागीरथ जाति रेगर निवासी हांसी जिला हिंसार।

14. कमला पुत्री पन्ना पत्नी औमप्रकाश जाति रेगर निवासी शिवानी जिला हिसार।
15. विमला पुत्री पन्ना पत्नी हरजीराम जाति रेगर निवासी हांसी जिला हिसार।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 22/8/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस ... का पेश किया की रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता स0 38/36 के किला ... 0.0... हैक्ट गैर0मु0 रास्ता, प0न0 398/457 मु0न0 57 के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट, किला ... की 0.2150,

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

6 की 0.2150 हैक्ट, किला न0 7 ता 15 प्रत्येंक की 0.2530 हैक्ट, 16 की 0.2150 हैक्ट, किला न0 17 ता 24 प्रत्येक की 0.0253 हैक्ट कुल 5.9200 हैक्ट भूमि के पन्ना वल्द सुखा जाति रेगर खातेदार काश्तकार थे।

पूर्व में चक न0 5 बीएसडी में वादी की भूमि थी जो पन्ना वल्द सुखा जिसके खातेदार काश्तकार थे उक्त भूमि रिजर्वेशन स्किम के तहत रकबा बागान के लिए रिजर्व किया गया था तथा इस रकबे के बदले में तबादले में चक न0 7 जीजीएम की भूमि वादी के पिता को दी गई उक्त रकबा दिनांक 30.08.57 को रिजर्व किया गया था तथा तबादले में दिनांक 30.08.57 को ही चक न0 7 जीजीएम की भूमि पन्ना वल्द सुखा के नाम आवंटन की गई, तब से लेकर सुखा का कब्जा काश्त रहा है। उक्त रकबा चक न0 7 जीजीएम का सटेलमैंट विभाग द्वारा आराजीराज दर्ज कर दिया गया उसके बाद उक्त रकबा प्रतिवादीगण व अन्य धर्मसिंह वगैरह ने अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कि सेटलमैंट विभाग से दर्ज करवाया उक्त नामान्तरण स. 6 दिनांक 18.07.75 वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक अधिकारों के विपरित एवं शून्य है। इसी प्रकार नामान्तरण स0 8 द्वारा प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि 1/3 हिस्सा जो की प्रतिवादीगण अन्य धर्मसिह वगैरह ने विधिविरूद्ध तरीके से बैयनामा की बात का अभिकथन कर नामान्तरण स0 8 अपने नाम दिनांक 22.07.75 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त समस्त कार्यवाही सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी की भूमि को प्रतिवादीगण के दर्ज करने के लिए की गई है जबकि सेटलमेंट विभाग को वादी के पिता पन्ना वल्द सुखा का नाम कलमजन करने का अधिकार नही था। विभाग द्वारा केवल पुरानी प्रविष्टि को ही दोहराया जाना था। बिना किसी न्यायालय निर्णय के उक्त भूमि गलत तौर से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई है। उक्त समस्त इन्द्राजाज व तथाकथित बैयनामें व समस्त नामान्तरण वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक व हकूक के विपरित होने से शून्य है तथा वादी प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवा वाद भूमि में वादी 1/5 हिस्से का व तरतीबी प्रतिवादीगण स0 10 का 1/5 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादीगण स0 11 ता 13 संयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी स0 14 का 1/5 हिस्सा, तरतीबी स0 15 का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स0 10 ता 15 दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रहने का अनुचित फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वाद भूमि को अन्यत्र रहन/बैय करने के फिराक में है ऐसी स्थिति में यदि वाद भूमि फरोख्त हो जाती है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए वादी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वाद भूमि को फरोक्त करने से निषिद्ध करवा पाने के अधिकारी है। तथा वाद भूमि रहन युक्त कर रखी है प्रतिवादी स0 9 ने उक्त वाद भूमि को रहन रख कर ऋण ले रखा है। जबकि वाद भूमि वादी के पिता पन्ना वल्द सुखा को तबादले में मिली हुई भूमि थी। प्रतिवादी स0 9 वाद दायरी के बाद तुरन्त सुचना मिलने पर उक्त ऋण वसूली प्रतिव[illegible] स0 [illegible] प्रतिवादी स0 1 ता 7 से तुरन्त प्रभाव से करे तथा डिक्री जारी होने से पहले [illegible] भूमि को रहन मुक्त करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा की वाद भूमि में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का हक हिस्सा तसलीम कर लेवे तथा राजस्व रिकार्ड में से अपना नाम कलमजन करवा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा देवे तथा भूमि रहन मुक्त कर देवे एवं फरोक्त करने से निषिद्ध रहे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषित किया जावे की रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता स0 38/36 की कुल 5.9200 हैक्ट मे प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की भूमि उनकी नाम दर्ज कर बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

दावा पेश होने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादीगण स0 1/1 व 2 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता अर्जीदावा की मदों को अस्वीकार करते हुए जवाब दावा इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि न तो कभी पन्ना के नाम रही है और न ही कभी कब्जा काश्त में रही है। पन्ना वल्द सुखा रेगर की चक 5 बीएचडी तहसील भादरा में 5.01 बीघा भूमि थी उसको बागान के लिए रिजर्वेशन किया गया तब उसके बदले में 5 बीघा भूमि तहसील भादरा में चक 1 बीएचडी के प0न0 455/442 (59) के किला न0 17, 18, 23 ता 25 कुल 5 बीघा भूमि बदले में दे दी गई जो उनके नाम है तथा आज भी पन्ना के वारिसों के कब्जा काश्त में है। दावा में दर्ज भूमि सम्वत 2012 से पूर्व से लगातार सन्तासिंह, साधुसिंह, उजागरसिंह व सम्पतसिंह वगैरह की भूमि थी तथा वे ही काश्त करते थे एवं नामान्तरण स0 20 दिनांक 07.05.1966 को खातेदारी भी दर्ज हो गयी थी। सैटलमैन्ट विभाग ने गलती से इनका नाम हटाकर अराजीराज दर्ज कर दी थी जो तहसीलदार ने विभागीय गलती स्वीकार करते हुए दिनांक 05.07.1975 को नामान्तरण स0 6 के तहत वापिस खातेदारों सन्तासिह वगैरह के नाम दर्ज कर दी थी। उक्त वाद भूमि प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है। प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्डेड खातेदार है जिनके खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। पन्ना वल्द सुखा के पास जो भूमि थी वह भादरा में थी जबकि दावा में दर्ज भूमि 7 जीजीएम तहसील नोहर में है तथा उनके नाम 5.01 बीघा भूमि थी जबकि अब ये 5.9200 है0 भूमि मांग रहे है जबकि दोनों भूमि अलग अलग दो तहसीलों में स्थित है। वादग्रस्त भूमि सम्वत 2016 से लगातार पहले उजागर सिंह बगैरह के कब्जा काश्त एवं बाद में प्रतिवादीगण के नाम से गिरदावरी व जमाबंदी में दर्ज है। वादी उक्त भूमि अपने पूर्वज पन्ना की बता रहे है जबकि पन्ना को काफी वर्ष फौत हुए हो गये है इतने दिनों बाद दावा क्यों नही किया ऐसा कोई कारण दावा में नही लिखा तथा न ही पन्ना ने अपने जीवनकाल में कभी ऐसा कोई दावा या आपत्ति पेश की इसलिए दावा खारिज योग्य है। पन्नाराम उर्फ पन्ना कहां का रहने वाला है तथा इसके कितने वारिस है यह कब फौत हुआ ऐसा कोई द[illegible]ावली में नही है। चक 7 जीजीएम में ढाल बाछ में जिस पन्ना का नाम [illegible] या कोई और साबित नही है। पन्ना के समस्त वारिसों को फरीक नही बनाया गया है। दावा वारिसों को छुपाकर पेश किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जो कुसंयोजन की श्रेणी में आता है दावा खारिज फरमाया जावें। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में विभिन्न प्रार्थना पत्रों का निस्तारण होने के पश्चात दिनांक 19.07.2019 को संशोधित अर्जीदावा पेश किया जो कि शामिल मिसल किया गया।

प्रस्तुत वाद एवं जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गई:–

1. आया की चक 5 बीएसडी की भूमि रिजर्वेशन स्कीम के तहत तबादले मे चक 7 जीजीएम की भूमि वादी के पिता को दी गई थी जो अर्जीदावा की मद स0 1 में दर्ज है कि घोषणा करवा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है?

वादी

2. आया कि नामान्तरण स0 6 दिनांक 18.07.1975 तथा पश्चातवर्ती इन्द्राजात तथाकथित बैयनामा व समस्त नामान्तरण वादी व तरतीबी प्रतिवादी के हक हकुक के मुकाबले शून्य करवाने के अधिकारी है?

वादी

3. आया की वाद भूमि धारा 42 आरटीएक्ट के तहत प्रतिवादीगण ने दर्ज करवा रखी है जो विधि विरूद्ध है?

वादी

4. आया की वाद में दर्ज भूमि सम्वत 2012 से पूर्व लगातार प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसमें वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है?

प्रतिवादी

5. आया की वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादीगण खरीदशुदा खातेदार काश्तकार है जिनके खिलाफ दावा नही चल सकता है?

प्रतिवादी

6. दादरसी

वादीगण ने तनकीआत के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2068–2071 खाता स0 38/36 रोही मौजा चक 7 जीजीएम ईएक्सपी–1, प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 7 जीजीएम खाता स0 29 ईएक्सपी–2, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत 2035 चक 7 जीजीएम खाता स0 17/17 ईएक्सपी–3, प्रमाणित प्रति ढालबाछ सम्वत 2021 खाता स0 99 ईएक्सपी–4, प्रमाणित प्रति ढालबाछ सम्वत 2022 चक 7 जीजीएम ईएक्सपी–5, प्रमाणित प्रति चक 7 जीजीएम चक 5 बीएचडी पत्रावाली स0 1531 बाबत रिजर्वेशन स्कीम बागान ईएक्सपी–6, प्रमाणित प्रति पर्चाखतौनी चक 7 जीजीएम मु0न0 57 ईएक्सपी–7, प्रमाणित प्रति नामान्तरण स0 8 चक 7 जीजीएम ईएक्सपी–8, प्रमाणित प्रति नामान्तरण स0 7 रोही मौजा चक 7 जीजीएम ईएक्सपी–9, प्रमाणित प्रति मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029–38 ईएक्सपी–10, प्रमाणित नकल बंदोबस्त चक 7 जीजीएम ईएक्सपी–11, प्रमाणित मिसल बन्दोबस्त चक 7 जीजीएम ईएक्सपी–12 प्रदर्शित करवायें। फोटोप्रति वोटरलिस्ट 2012 भाग स0 139 ग्राम तलवाड़ा झील, फोटोप्रति वोटर लिस्ट 2017 भाग स0 180 सिकलगरों का मौहल्ला तलवाड़ा, फोटोप्रति मतदाता सूची 1998 भाग स0 74, फोटोप्रति मतदाता सूची 1980 भाग स0 35, फोटोप्रति आरटीआई के तहत चाही गई सूचना, फोटोप्रति आदेश 8 नियम 1 सीपीसी, फोटोप्रति निर्णय दिनांक 12.02.2019 सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सिविल अपील स0 1638/2019 आदि पेश किए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण ने तनकीआत के समर्थन में बतौर दस्तावेजी सबूत में मूल मुख्यत्यारनामा मेजरसिंह बनाम अंग्रेजसिंह ईएक्सडी–1, प्रमाणित प्रति नामान्तरण स0 7 चक 7 जीजीएम ईएक्सडी–2, प्रमाणित प्रति नामान्तरण स0 8 चक 8 जीजीएम ईएक्सडी–3, प्रमाणित प्रति रिजर्वेशन पत्रावली स0 1531 दिनांक 30.08.57 ईएक्सडी–4, प्रमाणित प्रति बैयनामा चक 7 जीजीएम दिनांक 10.09.68 ईएक्सडी–5 प्रमाणित प्रति मिसल बन्दोबस्त चक 7 जीजीएम सम्वत 2029–38 ईएक्सडी–6, प्रमाणित प्रति मिसल बन्दोबस्त ईएक्सडी–7, प्रमाणित प्रति मिसल बन्दोबस्त 7 जीजीएम सम्वत 2029–2038 ईएक्सडी–8, प्रमाणित प्रति जमाबंदी 7 जीजीएम खाता स0 17/17 सम्वत 2035–2039 ईएक्सडी–9, प्रमाणित प्रति जमाबंदी 7 जीजीएम खाता स0 25/17 सम्वत 2039–2042 ईएक्सडी–10 व 11, प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 7 जीजीएम खाता स0 25/23 सम्वत 2044–47 ईएक्सडी 12 प्रमाणित प्रति जमाबंदी 7 जीजीएम खाता स0 26/25 सम्वत 2044–2047 ईएक्सडी–13, प्रमाणित प्रति जमाबंदी 7 जीजीएम खाता स0 24/26 सम्वत 2048–2051 ईएक्सडी–14, प्रमाणित प्रति जमाबंदी 7 जीजीएम खाता स0 26/24 सम्वत 2052–2056 ईएक्सडी–15, प्रमाणित प्रति चक 7 जीजीएम खाता स0 29/26 ईएक्सडी–16, प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 7 जीजीएम सम्वत 2060–2063 खाता स0 28/29 ईएक्सडी–17, प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 7 जीजीएम सम्वत 2064–2067 खाता स0 39/31 ईएक्सडी–18, प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 7 जीजीएम सम्वत 2068–2071 खाता स0 38/36 ईएक्सडी–19, प्रमाणित प्रति ढालबाछ चक 7 जीजीएम सम्वत 2023–2035 ईएक्सडी–20 से 32, प्रमाणित प्रति गिरदावरी चक 7 जीजीएम सम्वत 2018–2072 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर0एल0डब्ल्यू0 2012 पेज न0 1026, आर0बी0जे0 1998 पेज न0 274, आर0एल0आर0 1988 पेज न0 609, आर0एल0आर0 1984 पेज न0 791 पेश किये, जिनका हमने अध्ययन कर इन्हें मार्गदर्शी सिद्वान्त के रूप में उपयोग किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

<u>तनकी नम्बर 1</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1, 2 व 3 जमाबंदी 7 जीजीएम से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण न0 1 ता 7 की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात चक 7 जीजीएम ढाल बाछ सम्वत 2021 प्रदर्श–4 व 5 से यह पाया जाता है कि पन्ना वल्द सुखा कौम रेगर के नाम भूमि दर्ज थी। प्रदर्श–6 से यह पाया जाता है कि चक 5 बीएचडी में पन्ना वल्द सुखा रेगर की 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्कीम बागात में आने से चक 1 बीएचडी में 5 बीघा भूमि तबादले में दी गई है। नकल पर्चाखतौनी चक 7 जीजीएम प्रदर्श–7 से यह पाया जाता हे कि 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 21.07.1964 में तबादला में दिये जाने का नोट अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकल [illegible] स0 8 प्रदर्श–8 से यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि उजागरसिंह व[illegible]नामा दिनांक 22.03.1968 से प्रतिवादीगण की खरीद करने के पश्चात खरीददा[illegible] के नाम बतौर क्रेता राजस्व रिकार्ड में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

है। प्रदर्श–9 नामान्तरण स0 7 से यह साबित होता है कि भूप्रबन्धन विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि को सिवाय चक दर्ज करने के उपरान्त दिनांक 18.07.1975 के द्वारा तहसीलदार नोहर के हुकमन आदेश से उजागरसिंह वगैरह के नाम भूमि बतौर खातेदार दर्ज की गई। इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि तहसीलदार नोहर के हुकमन के द्वारा जरिये हुकमन आदेश उजागरसिंह वगैरह के नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने के पश्चात उजागर सिंह आदि ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.03.1968 को प्रतिवादीगण को विक्रय किये जाने के पश्चात बतौर खरीदशुदा खातेदार काश्तकार दर्ज कागजात चले आ रहे है। वादी ने उक्त के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किये है। वादी ने ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित हो की किस सक्षम अधिकारी के आदेश से चक 7 जीजीएम की पन्ना वल्द सुखा को वादग्रस्त भूमि तबादले मे आवंटित की गई थी एवं आवंटन के पश्चात किस नामान्तरण से भूमि उनके नाम दर्ज हुई तथा आवंटित भूमि का कब्जा कब प्राप्त किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से केवल पन्ना वल्द सुखा के नाम भूमि दिये जाने का नोट अंकित है किन्तु आवंटन के पश्चात पन्ना वल्द सुखा के भूमि का कब्जा प्राप्त करना प्रमाणित नही होता है। वादी ने वाद सन् 2014 में प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया है। वादी के पिता पन्ना वल्द सुखा के द्वारा वाद प्रस्तुत नही करने से यह तथ्य सामने आते है कि पन्ना वल्द सुखा को कभी भी वादग्रस्त भूमि बाबत एतराज नही था। वादी ने वाद क्लीन हैण्ड पेश नही किया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ईएक्स्डी–1 से ईएक्सडी–32 से स्पष्ट साबित है कि भूमि तहसीलदार के हुकमन आदेश के जरिये उजागरसिंह वगैरह के नाम दर्ज हुई है। उजागरसिंह वगैरह ने प्रतिवादीगण को भूमि विक्रय किये जाने के पश्चात उनके नाम बतौर खरीदशुदा कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि क्रय से लेकर आज तक निरन्तर चली आ रही है। इस प्रकार वादी तनकी न0 1 को साबित करने में असफल रहा है इसलिए तनकी न0 1 का निर्णय खिलाफ वादी बहक प्रतिवादीगण किया जाता है।

<u>तनकी नम्बर 2</u> :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था यह तनकी, तनकी न0 1 पर आधारित है। तनकी न0 1 का निर्णय विस्तृत विवेचन स्वरूप वादी के खिलाफ तय किया गया है। पश्चातवर्ती इन्द्राजात तहसीलदार के हुकमन आदेश से राजस्व रिकार्ड में उजागरसिंह वगैरह के नाम दर्ज हुआ है। प्रतिवादीगण ने उजागरसिंह वगैरह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.03.1968 को क्रय करने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में बतौर काबिज खातेदार काश्तकार आज तक चले आ रहे है। वादी को अगर किसी प्रकार की आपत्ति थी तो तहसीलदार के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपनी चाराजौही कर सकते थे। जब तक रजिस्टर्ड बैयनामा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक पंजीबद्ध बैयनामा को शून्य घोषित नही किया जा सकता है। शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को है। इसलिए उक्त तनकी को [illegible] साबित करने में असफल रहे है इसलिए तनकी न0 2 का निर्णय भी खिल[illegible] किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह भूमि धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना के अन्तर्गत नही आती है क्योंकि वादग्रस्त भूमि सिवाय चक भूमि से तहसीलदार के हुकमन आदेश पर जरिये इंतकाल स0 7 दिनांक 18.07.1975 को तस्दीक किया गया है, वह तहसीलदार नोहर के हुकमन आदेश दिनांक 06.05.1975 की पालना में दर्ज हुआ है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होना साबित नही होता है। अतः इस तनकी का निर्णय भी खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी नम्बर 4 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि वाद में दर्ज भूमि सम्वत 2012 से पूर्व कब्जा काश्त की भूमि हो। वादग्रस्त भूमि भाखड़ा क्षेत्र में स्थित है जो केवल भाखड़ा क्षेत्र के आवंटन नियमों के तहत ही भूमि किसी को प्राप्त होती है। वादग्रस्त भूमि जरिये हुकमन आदेश तहसीदार नोहर दिनांक 06.05.1975 के द्वारा उजागरसिह वगैरह के नाम बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज हुई है और प्रतिवादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.03.1968 को क्रय करने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के पश्चात निरन्तर आज तक निर्विध्न कब्जा काश्त में चली आ रही है। इसलिए इस तनकी का निर्णय इसी विवेचन स्वरूप बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी नम्बर 5 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात ईएक्सडी–1 से ईएक्सडी–32 से यह स्पष्ट साबित है कि वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.03.1968 से उजागरसिंह वगैरह से खरीद किये जाने के पश्चात नामान्तरण स0 8 दिनांक 22.07.1975 को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया है, तभी से लेकर आज तक प्रतिवादीगण बतौर खरीदशुदा खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड चले आ रहे है। वादी जरिये वाद किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसी विवेचन स्वरूप इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी किया जाता है।

दादरसी। समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। तनकीआत के निर्णय के आधार पर वाद वादी साबित नही होने से काबिल खारिज है अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। व्यय वाद उभयपक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 22/8/23 ....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 332/2014

अनवान : –

1. मोडुराम पुत्र पन्नाराम उर्फ पन्ना जाति रेगर निवासी अजीतपुरा तहसील भादरा।

– **वादी**

बनाम्

1. गोरासिंह वल्द बिशनसिंह – फौत
   1/1 जगजीतसिंह पुत्र गोरासिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।
   1/2 नाथासिंह पुत्र गोरासिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।
2. सुखदेव कौर बेवा जरनेलसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।
3. गुरसेवक पुत्र जरनेलसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।
4. अग्रेजसिंह पुत्र जरनेलसिह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।
5. मेजरसिंह
6. अजायबसिंह
7. दर्शनसिंह

   पि0 महेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ा तहसील टिब्बी।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. मैनेजर एसबीबीजे शाखा रामगढ़ तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

10. कानी पुत्री पन्ना पत्नी हरलाल जाति रेगर निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के पास रेगर मोहल्ला फतेहाबाद
11. सन्तोष
12. पप्पू
13. प्रेमा

    पुत्र/पुत्रीयान माता मैना देवी पत्नी भागीरथ जाति रेगर निवासी हांसी जिला हिंसार।
14. कमला पुत्री पन्ना पत्नी औमप्रकाश जाति रेगर निवासी शिवानी जिला हिसार।
15. विमला पुत्री पन्ना पत्नी हरजीराम जाति रेगर निवासी हांसी जिला हिसार।

– **तरतीबी प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 332 सन 2014 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी व वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी खारिज किया जाता है।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेगें। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/8/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:43:53 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर